भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5040
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः किसानों की फसलों को कटाई के उपरांत क्षति से बचाने की योजना
5040. श्री अभय कुमार सिन्हाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार की बिहार में किसानों की फसलों को कटाई के उपरांत होने वाली क्षति से बचाने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो इसका जिलेवार ब्यौरा क्या है:
(ख) क्या सरकार कटाई के उपरांत फसलों के बेहतर भंडारण और प्रसंस्करण के लिए किसानों को वित्तीय सहायता या राजसहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता या राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का कृषि उपज की क्षति को कम करने के लिए किसानों को कटाई के उपरांत की तकनीक और जैव-संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देने का विचार है और यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है साथ ही इसके अंतर्गत प्रशिक्षित किसानों की संख्या कितनी है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): साइंटफिक स्टोरेज सहित एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, बिहार सहित अन्य राज्यों में एकीकृत कृषि विपणन योजना इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की उप-योजना "एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (ए.एम.आई.)" लागू की जा रही है।

फसलोपरांत (पोस्ट-हार्वेस्ट) होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बिहार में स्वीकृत गोदामों एवं क्षमता तथा जारी की गई सब्सिडी का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ख) और (ग): एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक पूंजी निवेश, ओपन एंडेड, मांग आधारित और ऋण से जुड़ी (क्रेडिट लिंक्ड) योजना है जिसमें लाभार्थी की पात्र श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की दर से बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स को जारी की गई सब्सिडी का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के तहत कोल्ड चेन विकास सहित फसलोपरांत प्रबंधन (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट) में सहयोग दिया जाता है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एग्रीकल्चरल टेक्नॉलजी मैनेजमेंट एजेंसी) के तहत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें फसलोपरांत प्रबंधन (पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट), फसलोपरांत देखभाल, मूल्य संवर्धन और स्टोरेज तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षण शामिल हैं। 2014-15 से 2024-25 (13 मार्च, 2025 तक) के दौरान एटीएमए योजना के तहत कुल 1.43 करोड़ किसानों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें फसल कटाई के बाद का प्रशिक्षण भी शामिल है। हालांकि, विषय-वार प्रशिक्षित किसानों का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

	जिले का नाम	स्वीकृत गोदामों की संख्या	स्वीकृत क्षमता (मीट्रिक टन में)	जारी सब्सिडी (रुपये में)
1	अररिया	17	48288.43	32016995
2	अरवल	शून्य	शून्य	शून्य
3	औरंगाबाद	4	4651.16	3891300
4	बांका	शून्य	शून्य	शून्य
5	बेगूसराय	53	157384.92	92458950
6	भागलपुर	5	6040.63	2452800
7	भोजपुर	6	10464.80	5130000
8	बक्सर	3	7155.80	5844250
9	दरभंगा	9	9268.23	6614900
10	पूर्वी चंपारण	2	7719.50	2669200
11	गया	1	2400.00	2533700
12	गोपालगंज	2	2333.43	1016000
13	जमुई	1	2139.78	1586000
14	जहानाबाद	1	1921.92	1634800
15	कैमूर	3	2689.13	1839900
16	कटिहार	19	31244.12	19600700
17	खगरिया	31	74413.06	43239490
18	किशनगंज	4	6966.52	1243400
19	लखीसराय	शून्य	शून्य	शून्य
20	मधेपुरा	18	21250.98	11474500
21	मधुबनी	1	411.25	257000
22	मुंगेर	शून्य	शून्य	शून्य
23	मुजफ्फरपुर	8	13631.56	10398000
24	नालन्दा	8	8151.87	4156200
25	नवादा	1	4994.17	2496500
26	पटना	11	14481.32	7000800
27	पूर्णिया	88	216380.08	134740710
28	रोहतास	6	15073.76	5666670
29	सहरसा	12	16171.60	12029000
30	समस्तीपुर	10	14402.25	7458700
31	शिवहर	शून्य	शून्य	शून्य
32	सारण	4	3575.79	1193000
33	शेखपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
34	सीतामढ़ी	3	10473.09	4978850
35	सिवान	3	16320.00	8042430
36	सुपौल	1	907.15	1058200
37	वैशाली	12	26630.90	9553000
38	पश्चिमी चंपारण	15	16564.11	6955355
	कुल	**362**	**774501.31**	**451231300**

ए.एम.आई. के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान गोदामों और प्रोसेसिंग यूनिट्स को जारी की गई राज्य-वार सब्सिडी

क्र.सं.	वर्ष / राज्य	2020-21 जारी सब्सिडी (लाख रुपए में)	2021-22 जारी सब्सिडी (लाख रुपए में)	2022-23 जारी सब्सिडी (लाख रुपए में)	2023-24 जारी सब्सिडी (लाख रुपए में)	2024-25 जारी सब्सिडी (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	818	529	525	1746	529
2	असम	0	211	208	0	476
3	बिहार	43	190	147	1254	609
4	छत्तीसगढ़	0	0	0	191	187
5	गुजरात	65	111	2246	9520	3838
6	हरियाणा	72	271	386	3430	3366
7	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	50	33
8	झारखंड	0	0	87	38	19
9	कर्नाटक	25	129	60	866	887
10	केरल	0	0	0	125	55
11	मध्य प्रदेश	592	1624	1528	37798	38220
12	महाराष्ट्र	88	38	570	2228	1590
13	मेघालय	0	0	0	0	67
14	ओडिशा	0	50	14	60	24
15	पंजाब	0	34	228	1158	564
16	राजस्थान	120	71	241	2552	935
17	तमिलनाडु	17	0	0	89	17
18	तेलंगाना	82	337	154	4812	2678
19	उत्तर प्रदेश	0	45	0	1795	422
20	उत्तराखंड	0	0	36	155	321
21	पश्चिम बंगाल	39	57	0	49	17
	कुल	**1961**	**3698**	**6432**	**67916**	**54853**
